(c) the names of those who have not so far been promoted inspite of the recommendations in their favour; and

(d) what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED) : (a) Yes, Sir.

(b) 48 officers/men were promoted on out of turn basis as per details given below :

Inspectors to ACP . .	1
S.I. to Inspector . . .	5
A.S.I. to S.I.	4
H.C. to A.S.I.	14
Constable to H.C. . .	24

(c) and (d) The recommendations for out of turn promotion made by the Districts/ Units are processed by a committee constituted under the chairmanship of the Commission of Police, Delhi. This Committee meets periodically and screens the recommendations received from the Distts./ Units. out of 173 recommendations received during 1992 and 1993, ninety six have been processed and 48 officials permoted. The remaining 77 cases have not been processed till date by the Committee.

सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दुकानों से नये रिवाल्वर/पिस्तौल की बिक्री

1161. **श्री नारायण प्रसाद गुप्ता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जिन व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किए जाते हैं, क्या उनको नई रिवाल्वर/पिस्तौल खरीदने के लिए कतिपय दुकानें विनिर्दिष्ट की गई हैं, यदि हां, तो ये दुकानें कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या यह सच है कि देश में निर्मित रिवाल्वरों/पिस्तौलों को केवल सेना, पुलिस और संसद सदस्यों को ही बेचा जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि लाइसेन्स-धारकों को न तो देश में निर्मित नवीन रिवाल्वर/पिस्तौल क्रय हेतु उपलब्ध होती है और न ही विदेशों से उनका आयात करने की अनुमति प्रदान की जाती है;

(घ) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि ऐसे लाइसेंसधारकों को ये हथियार वास्तविक मूल्यों की तुलना में आठ से दस गुना अधिक मूल्यों पर खरीदना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इन लाइसेंसधारकों को नये हथियार खरीदने की सुविधा प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार कर रही हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) यद्यपि शस्त्र अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम है, परन्तु इसका प्रवर्तन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है जिनको, संविधान के अनुच्छेद 258(1) और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 43(1) के अधीन इस बारे में आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। शस्त्र अधिनियम/नियम के प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु अलग से कोई केन्द्रीय एजेन्सी नहीं है। शस्त्र और गोली-बारूद की बिक्री इत्यादि के डीलरशिप लाइसेंस, राज्य सरकारों द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन, स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, स्वीकृत किए जाते हैं।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार, निजी क्षेत्र द्वारा रिवाल्वर/पिस्तौल इत्यादि का निर्माण किए जाने की अनुमति नहीं है। तथापि, रक्षा मंत्रालय के अधीन इकाइयों द्वारा रिवाल्वर/पिस्तौलों आदि का निर्माण किया जाता है जिसमें से बहुत सीमित भंडार, सिविलियनों को बिक्री के लिए जारी किया जाता है। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आग्नेयास्त्रों का आयात, केवल निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर, दिनांक 13-11-1986 से प्रतिबंधित कर दिया गया है :--

(i) "निवास का स्थानांतरण नियम" के अधीन जब कोई व्यक्ति कम

कम दो वर्ष तक विदेश में रहने के बाद भारत में वापस आ रहा हो, बशर्ते कि उसने भारत लौटने से पहले कम से कम एक वर्ष तक शस्त्र अपने पास रखा हो, और

(ii) भारत सरकार के खेल विभाग की सिफारिशों पर, खेलों के प्रयोजन हेतु खिलाड़ियों को ।

लोक व्यवस्था बनाए रखने के बृहत्तर हितों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत प्रयोग हेतु आग्नेयास्त्रों के आयात पर प्रतिबंध जारी है ।

(घ) और (ङ) लाईसेंस धारक द्वारा आग्नेयास्त्र को अधिकृत स्त्रोतों से प्रचलित बाजार भाव पर खरीदा जाना अपेक्षित है । केन्द्र सरकार ऐसी कोई योजना तैयार नहीं कर रही है जिससे लाईसेंस धारक को नए शस्त्र खरीदने में सहूलियत हासिल हो सके ।

कश्मीर में बिगड़ती हुई स्थिति

1162. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कश्मीर में डोडा क्षेत्र का नियंत्रण पूरी तरह उग्रवादियों के हाथ में चला गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कश्मीर की स्थिति दिन-पर-दिन बदतर होती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार स्थिति सुधारने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने पर विचार रखती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) पाकिस्तान से सहायता तथा प्रोत्साहन प्राप्त आतंकवादियों द्वारा जम्मू और कश्मीर में बड़े पैमाने पर हिंसा बनाए रखने के प्रयास जारी हैं । ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा सीमा/नियंत्रण रेखा तथा भीतरी क्षेत्रों, दोनों में लगातार दबाव बनाए रखा जा रहा है । बेहतर परिणामों के लिए सूचना का आदान-प्रदान करने सहित राज्य में विभिन्न बलों की कार्रवाईयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं । परिणामस्वरूप शस्त्रों की बरामदगी और बहुत बड़ी तादाद में उग्रवादियों, जिनमें विभिन्न गुटों के अनेक उच्च रैंक के नेता भी शामिल हैं, को मारने और उन्हें पकड़ने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है । उग्रवादियों पर लगातार दबाव रखा जा रहा है ।

Ban on Lotteries

1163. SHRI RAMDAS AGARWAL :
SYED SIBTEY RAZI :
SHRI RAM GOPAL YADAV :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are aware of large scale malpracties/cheating rempant in the operations of "Daily and Single digit lotteries" in various States in the country as reported in the Hindustan Times dated 11th February, 1994; and

(b) whether Governemnt have so far taken any final decision to ban or issued instructions to State Governemnts to take strict and firm action to exercise proper control over lotteris and to impose bar quickly on such lottery so as to save the society of adverse effects ; if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED) : (a) Yes, Sir. Complaints about malpractices in the operations of Daily and Single digit lotteries are received from time to time.

(b) keeping in view the malpractices reported, the Central Government has, from to time issued guidelines to the States to curb these malpractices.